इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, शक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 9636-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२ क) अपील की सुनवाई के दौरान, यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभिहित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समनुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को, पदाभिहित अधिकारी पर धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा.".

धारा ७ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"(५) (क) यदि आवेदक उपधारा (१) या (२) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, से संतुष्ट नहीं है तो वह इस संबंध में धारा ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा.

(ख) नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा:

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.

(ग) इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्यवाही लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा:

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.".

४. मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ८क का अंत:स्थापन.**

"८-क. धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा. नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा: **नामनिर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन.**

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्राह्य कर सकेगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) को राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था. अब यह विनिश्चय किया गया है कि सेवा प्रदाय को अधिक प्रभावी बनाने तथा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिनियम में यथोचित संशोधन किए जाएं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख २९ मार्च, २०११

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन के निराकरण करने की प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. एयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.